

11-12-2024

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया गया। पूर्व में नोटिस निर्गत करने के उपरान्त भी देनदार द्वारा वकाया शीश को जमा नहीं किया गया, जो आदेश की अवहेलना है। अतः देनदार को वकाया शीश जमा

करने संबंधी नोटिस पुनः निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 15/12/24 को रखा।

Raj
15/12/2024
अंतिम पक्ष
सरयाहाट

15-12-24

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया गया। देनदार श्रीकांत लाल को परती श्रीमती उपस्थित। वाद संख्या 93-94 के संबंधित वकाया शीश रु. 1200.00 (एक हजार दो सौ रुपये) नगद जमा किया गया।

अबल नाजिर को आदेश दिया जाता है कि श्रीमती मीना देवी से रु. 1200.00 एक हजार दो सौ रुपये प्राप्त कर नाजिर दखिल निर्गत करें।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

Raj
15/12/2024
अंतिम पक्ष
सरयाहाट

Raj
15/12/2024
अंतिम पक्ष
सरयाहाट

झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
नाजिर रसीद

JE
02 400583

अनुसूची 14- फारम नं० 511

जिल्द संख्या 01/2024-25

वर्ष 2024-25

किससे प्राप्त हुआ सीता देवी पति श्रीकांत लाल शर्मा नवाडीह

किस मद नीलाम पत्र वादसी 09/93-94 में बकाया राशि का मुआवजा

झारखण्ड सरकार

नगद

स्टाम्प के रूप में

कुल

(केवल

रुपये)

पैसे)

प्रति कर्ता पदाधिकारी।

तारीख 15/12/2024

SPL/2013

उपस्थित होकर अपना सन्निहित राशि जमा नहीं करत ह ता जाना जायेगी।

इसे शक्त ताकिद जाने।

सीता देवी

Rahul 11/12/24

सर्टिफिकेट ऑफसर

-सह-

अंचल अधिकारी

